

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक / 102 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020


रायपुर, दिनांक 02/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर के अंतर्गत राजीव आवास, लालगंगा शॉपिंग मॉल के पीछे(थाना गोलबाजार) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 558/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	खाली जगह
2.	दक्षिण में	सी-ब्लॉक
3.	उत्तर में	डी-ब्लॉक
4.	पश्चिम में	बाउण्ड्रीवाल

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13775 दिनांक 01.07.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 19.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।


(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

  
अपर कलेक्टर  
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

पृ. क्रमांक / 102 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. ....भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 04, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना गोलबाजार, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
अपर कलेक्टर  
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/10/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020


रायपुर, दिनांक 02/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर के अंतर्गत प्रोफेसर कालोनी (थाना पुरानीबस्ती) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 556/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	अन्य निवासियों का घर
2.	पश्चिम में	बंद है।
3.	उत्तर में	मलसाय तालाब
4.	दक्षिण में	गली है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13765 दिनांक 01.07.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 19.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।


(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

  
अपर कलेक्टर  
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

पृ. क्रमांक/10/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. ....भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 06, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
अपर कलेक्टर  
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक / 100 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020


रायपुर, दिनांक 02/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर के अंतर्गत सोनकर बाडी के पास, सुंदर नगर (थाना डी.डी. नगर) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 564/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	उत्तर में	बंद है।
2.	दक्षिण में	बंद है।
3.	पश्चिम से पूर्व में	सुंदर नगर मुख्य मार्ग

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13774 दिनांक 01.07.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 19.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)


  
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

पृ. क्रमांक / 100 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. ....भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 05, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना डी.डी. नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक / 99 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर के अंतर्गत सिविल लाईन क्षेत्र (थाना सिविल लाईन) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 562/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	उत्तर-पूर्व में	1/ गांधी उद्यान 2/ आईएएस ऑफिसर्स मेस
2.	दक्षिण-पूर्व में	1/ सीएएफ बैरक 2/ श्री एस.सी.चौधरी का मकान
3.	उत्तर में	बंद है।
4.	पश्चिम में	1/ श्री जसबीर अरोरा का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13776 दिनांक 01.07.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 19.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

*Audane*

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

पृ. क्रमांक / 99 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. ....भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 04, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना सिविल लाईन, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

*Audane*

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक / 103 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 23, कैलाश नगर, बीरगांव (थाना उरला) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 559 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्रीमती सावित्री मलिक का मकान
2.	पश्चिम में	श्रीमती माधुरी देवी यादव का मकान
3.	उत्तर में	श्री राजेश्वर शुक्ला का मकान
4.	दक्षिण में	धाप तालाब

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13764 दिनांक 01.07.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 19.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

पृ. क्रमांक / 103 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. ....भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना उरला, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक/104/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 33, जागृति नगर, बीरगांव (थाना उरला) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 563/ अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्रीमती फूलमती विश्वकर्मा का मकान
2.	पश्चिम में	चंद्राकर किराना स्टोर्स
3.	उत्तर में	अभि किराना स्टोर्स
4.	दक्षिण में	श्री मामराज देवांगन का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13773 दिनांक 01.07.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 19.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

पृ. क्रमांक/ 104/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना उरला, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / 105 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020


रायपुर, दिनांक 02/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 23, मठपारा बीरगांव (थाना उरला) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 560 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्रीमती पांचो बाई का मकान
2.	पश्चिम में	शुक्रवारी बाजार
3.	उत्तर में	धाप तालाब
4.	दक्षिण में	सीएसपीडीसीएल का ऑफिस

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13772 दिनांक 01.07.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 19.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)


  
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

पृ. क्रमांक / 105 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. ....भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना उरला, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक / 107 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020


रायपुर, दिनांक 02/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12, बजरंग चौक, रावांभाटा, (थाना खमतलाई) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 580 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 20.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्री शत्रुघन के मकान के पास
2.	पश्चिम में	श्री सत्यनारायण के मकान के पास सड़क
3.	उत्तर में	श्री नारायण निषाद के मकान के पास सड़क
4.	दक्षिण में	संतोष चाय दुकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13763 दिनांक 01.07.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 20.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।


(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

  
अपर कलेक्टर  
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

पृ. क्रमांक / 107 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. ....भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना खमतलाई, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
अपर कलेक्टर  
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर



# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / 106 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020


रायपुर, दिनांक 02/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 32, बुधवारी बाजार, बीरगांव (थाना उरला) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 557 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	नगर निगम कार्यालय रोड
2.	पश्चिम में	मोतीसागर तालाब
3.	उत्तर में	बुधवारी बाजार
4.	दक्षिण में	मोतीसागर तालाब

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13771 दिनांक 01.07.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 19.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)


  
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

रायपुर, दिनांक 02/07/2020

पृ. क्रमांक / 106 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. ....भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना उरला, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर